न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 07/2018 अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

ग्यारसा पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी माधोगोविन्दपुरा तह० जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. मनोहर पुत्र कल्याण
2. हनुमान पुत्र कल्याण
3. सीताराम पुत्र कल्याण
4. गोरा पत्नि कल्याण
   समस्त जाति रैगर निवासी माधोगोविन्दपुरा तह० जिला दौसा
5. भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये उप जिला कलक्टर दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..अप्रार्थीगण

उजरात अ० धारा 14(4) विरुद्ध आवंटन आदेश आवंटन कमेटी दौसा दि० 25.9.77 बावत आवंटन बहक ग्यारसा पुत्र सुन्द्रया रैगर बाबत साबिक आराजी खसरा न0 81 रकबा 1 बीघा नो बिस्वा

उपस्थित–1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्राथी।
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 30.10.2025

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.9.1977 को ग्राम माधोगोविंदपुरा तहसील दौसा के साबिक खसरा नंबर 81 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम माधोगोविन्दपुरा तह० दौसा में साबिक खसरा न० 181 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान खसरा न० 109, 110 है उक्त भूमि साबिक में सिवायचक भूमि थी जिस पर उजरदार का कब्जा पूर्वज रामसहाय के जमाने से अर्थात पचास साठ वर्ष से भी अधिक समय से आवंटन के पूर्व से भी अपीलांट व उसके पूर्वजो का कब्जा था और आज भी उजरदार का कब्जा है तथा मोके पर काबिज है। लाखो रुपया खर्च करके उजरदार व उसके पूर्वजों ने भूमि को काबिल काश्त करने मे खर्च किये है। परन्तु अप्रार्थीयान न० 1 ला0 4 के पूर्वज ग्यारसा पुत्र सूण्डया ने पटवारी हलका व आवंटन कमेटी के सदस्यों ने साज करके चुपचाप में दिनाक 25–9–77 को अवैध रुप से आवंटन करा लिया तथा आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज करा ली जो आज तक गैर खातेदारी ही चली आ रही है इससे स्पष्ट है कि ग्यारसा रेगर ने कभी भी काश्त नहीं की और नही उसके वारिसान अप्रार्थीयान ने काश्त की बल्कि आज भी उजरदार का ही कब्जा है व शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है। आवंटन कमेटी का आदेश खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर उजरदार कब्जा अरसा पचास साल से प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा चला आरहा है तथा आज भी उक्त भूमि पर उजरदार का ही कब्जा चला आ रहा है तथा भूमि

जिला कलक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

के विकास मे लाखो रुपया उजरदार ने खर्च किया है। अप्रार्थीयान व उसके पूर्वज का कभी भी आज रोज तक कब्जा नहीं रहा न उन्होने कभी काश्त की। आवंटन की कार्यवाही मजमे आम मे भी नही हुई न ही आवंटन कमेटी का पूर्ण कोरम भी नही था तथा आवंटन फार्म विधिवत रूप से भरा गया ना ही हल्फीया तस्दीक भी सही नही है ऐसी सूरत में अपूर्ण फार्म के आधार पर किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन से पूर्व आवंटन के सम्बन्ध में कोई उदघोषणा भी नही की गई। उदघोषणा किये बिना आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। मृतक ग्यारसा रैगर ने ना तो आज तक भूमि काश्त की न कब्जा लिया न उनके वारिवान ने काश्त की जबकि कानूनन प्रथम वर्ष मे आधी व द्वितीय वर्ष मे पूरी काश्त करना अनिवार्य है। ऐसी सूरत मे आवंटन प्रारम्भ तोर से ही निरस्तनीय है। आवंटी रामसहाय व उसके वारिसान ने आवंटन नियमो की भी पालना नहीं की। आवंटन के समय भूमि खाली भी नही थी तथा उजरदार व उसके पूर्वज रामसहाय का कब्जा था और काश्त करते थे कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है इसलिए आवंटन निरस्तनीय है। आज भी भूमि गैर खातेदारी मे दर्ज है इससे स्पष्ट है कि कभी भी ग्यारसा रैगर द्वारा भूमि काश्त नहीं की यदि आवंटन कर्त्ता ग्यारसा रैगर व उसके वारिसान कभी काश्त करते तो खातेदारी उनको मिल जाती इससे स्पष्ट है कि आवंटी का ना तो कब्जा रहा न उसको खातेदारी ही मिली अतः आवंटन निरस्तनीय है। उजरदार भूमिहीन काश्तकार है तथा ग्यारसा रैगर के पास पहले ही से काश्त की भूमि है। यह भूमि इसलिए उजरदार ही आवंटन का पात्र था। आवंटन फ्राड व मिसरिप्रजेन्टशन से कराया है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उजरात प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश ता० 25–9–77 बहक ग्यारसा रैगर निरस्त करने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ग्यारसा रैगर को भूमि का आवंटन नहीं किया जाकर कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के भूमिहीन नहीं होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही आवंटन आदेश को 41 वर्ष के असाधारण विलंब से चुनौती दी गई है। अप्रार्थी एक गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(2)आरआरटी 838, 2021(2)आरआरटी 1029 की प्रतियां पेश की गई। किये गये।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि दिनांक 25.9.1977 को अवैध रूप से भूमि का आवंटन किया गया था, एवं उक्त भूमि पर 50 साल से प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि आज भी गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का साथ ही यह भी कथन है कि जिन्हे भूमि आवंटन की गई थी उनके द्वारा भूमिहीन होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण का नोट लगा हुआ है, आवंटन की कार्यवाही मजमे आम में नहीं की गई है एवं प्रकिया की नही अपनाई गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि यह आवंटन नहीं होकर नियमन के आधार पर किया गया है। अप्रार्थीगण के भूमिहीन न होने का दस्तावेज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। 41 वर्ष बाद आवंटन को चुनौती दी गई है एवं एक गरीब आदमी को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमने धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 का अवलोकन किया जिसमें यदि आवंटन फ्रॉड एवं मसरिप्रजेन्टेशन अथवा नियम विरूद्ध या आवंटी द्वारा आवंटन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शर्तों को तोडा गया हो तो खारिज किये जाने के प्रावधान है किन्तु प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.9.1977 को ग्राम माधोगोविंदपुरा तहसील दौसा के साबिक खसरा नंबर 81 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का आवंटी ग्यारसा पुत्र सुन्द्रया रैगर के पक्ष में किया गया आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested